संख्या-23/2024/I/518584/2024/001-71-2099-489-2020

प्रेषक,

श्रीप्रकाश गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में संस्थान परिसर में निर्मित ब्लड ट्रान्सफ्यूजन डिपार्टमेन्ट, सेन्ट्रल स्टोर, पी0आर0ए0 कैन्टीन, रेजीडेन्ट हास्टल, ट्रांजिट हास्टल एवं मल्टी टियर कार पार्किंग भवन के निर्माण कार्य के उपरान्त अवशेष 5 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किये जाने का संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3947/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2024/सि0-37, दिनांक 26 फरवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में संस्थान परिसर में निर्मित ब्लड ट्रान्सफ्यूजन डिपार्टमेन्ट, सेन्ट्रल स्टोर, पी0आर0ए0 कैन्टीन, रेजीडेन्ट हास्टल, ट्रांजिट हास्टल एवं मल्टी टियर कार पार्किंग भवन के निर्माण कार्य के उपरान्त अवशेष 5 प्रतिशत की धनराशि रू0 458.79 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 27.02.2009 द्वारा संस्थान में ब्लड ट्रान्सफ्यूजन डिपार्टमेन्ट, सेन्ट्रल स्टोर, पी0आर0ए0 कैन्टीन, रेजीडेन्ट हास्टल, ट्रांजिट हास्टल एवं मल्टी टियर कार पार्किंग भवन के निर्माण हेतु धनराशि रू0 4533.46 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त परियोजना की शासनादेश दिनांक 23.08.2013 द्वारा संशोधित पुनरीक्षित लागत रू0 6604.40 लाख तथा पुनः शासनादेश दिनांक 09.02.2015 द्वारा पुनरीक्षित लागत धनराशि रू0 9175.72 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। उक्त परियोजना में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से धनराशि रू0 8716.93 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ में ब्लड ट्रान्सफ्यूजन डिपार्टमेन्ट, सेन्ट्रल स्टोर, पी0आर0ए0 कैन्टीन, रेजीडेण्ट हास्टल ट्रांजिट हास्टल एवं मल्टी टियर कार पार्किंग के निर्माण कार्य हेतु रोकी गयी 5 प्रतिशत की धनराशि रू0 458.79 लाख (रुपये चार करोड़ अट्ठावन लाख उनासी हजार मात्र) (अनुदान संख्या-31 से धनराशि रू0 362.44 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से धनराशि रू0 96.35 लाख) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 तथा यथासंशोधित शासनादेश दिनांक 19 सितम्बर, 2023 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।
2. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। अन्य कार्य हेतु व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैक खाते आदि में नही रखा जायेगा।
5. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहंरित किया जायेगा तथा बिल पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 3,62,44,000 (रुपये तीन करोड़ बासठ लाख चवालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर , लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 96,35,000 (रुपये छियानबे लाख पैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037892800 डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश गुप्ता)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-23/2024/1/518584/2024/001-71-2099-489-2020, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. रीजनल मैनेजर, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, बी-4, महानगर एक्सटेंशन लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश गुप्ता)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।